**झारखण्ड उच्च न्यायालय राँची**

**आपराधिक विविध याचिका सं. 181 वर्ष 2024**

---

अशोक कुमार उर्फ अशोक प्रसाद उम्र लगभग 56 वर्ष, पुत्र स्व. धोरा प्रसाद, निवासी गाँव बारीडीह भूषण कालोनी, जोन सं. 08, , डाकखाना एग्रीको, थाना सिधगोरा, जिला पूर्वी सिंहभूम,झारखण्ड .....**याचिकाकर्ता**

**बनाम**

झारखण्ड राज्य **..... उत्तरदाता**

याचिकाकर्ता के लिए : श्री जितेन्द्र नाथ उपाध्याय ,अधिवक्ता

राज्य के लिए : सुश्री श्वेता सिंह, अपर लोक अभि.

इत्तिला देने वाली के लिए : श्री शिव कुमार सिंह अधिवक्ता

**निर्णय**

**मा. न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी**

**न्यायालय द्वारा :-** दोनो पक्षकारो को सुना

2. इस अपराधिक प्रकीर्ण याचिका को विशेष पाक्सो मामला सं. 83 वर्ष 2019 के तत्समान सोनारी थाना मामला सं. 142 वर्ष 2019 के संबंध में विद्वान विशेष जज (पाक्सो), जमशेदपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 05-12-2019 का अभिखण्डन करने के अनुरोध के साथ दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन इस न्यायालय के अधिकारिता का अवलंब लेते हुए दाखिल किया गया है जिसके द्वारा विद्वान विशेष जज,(पाक्सो), जमशेदपुर ने याचिकाकर्ता के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 (2)(एन) तथा 376(ग) के अधीन दण्डनीय अपराध तथा आदेश दिनांक 19-10-2020,31-05-2022 तथा 30-08-2022 हेतु संज्ञान लिया है जिसके द्वारा तथा जिसके अन्तर्गत गिरफ्तारी का अजमानवीय वारंट उक्त मामले के संबंध में याचिकाकर्ता के विरूद्ध जारी किया गया है।

3. याचिकाकर्ता के विरूद्ध अभिकथन यह है कि जब इत्तिला देने वाले की उम्र लगभग 14-15 वर्ष थी, इसकी माँ तथा पिता दोनो आपराधिक मामले के संबंध में जेल में थे। उसी समय, याचिकाकर्ता ने इसके साथ इसकी इच्छा के विरूद्ध शारीरिक संबंध स्थापित किया था क्योकि इत्तिला देने वाली अकेली थी तथा इसे सुनने तथा सहयोग करने के लिए कोई नही था। याचिकाकर्ता इत्तिला देने वाली के साथ शारीरिक संबंध बनाया करता था तथा वीडियो भी तैयार किया था तथा तत्पश्चात पुलिस अधिकारी के रूप में अपने पद का उपयोग करते हुए, इत्तिला देने वाली को जेल भेजने की धमकी देते हुए इस आतंकित किया था तथा याचिकाकर्ता लगातार इत्तिला देने वाली के साथ शारीरिक संबंध बनाया करता था। एक अवसर पर, याचिकाकर्ता अवयस्क पीड़िता लड़की- इत्तिला देने वाली को अपने घर ले गया था तथा होटल से इसके लिए खाना लाने बाहर गया था तथा इस बीच याचिकाकर्ता के पुत्र अर्थात अमित ने भी अवयस्क पीड़िता लड़की से शारीरिक संबंध स्थापित किया था। इत्तिला देने वाली थाना गई थी लेकिन पुलिस ने इसका मामला पंजीकृत नही किया था। कान्सटेबल ने इत्तिला देने वाली की धमकी दिया था, अतः इत्तिला देने वाली घटना के तत्काल बाद थाना में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज

नही करा सकी थी। याचिकाकर्ता तथा इसका पुत्र अमित इसके विवाह के बाद भी जब वह अपने मायके आती थी लगातार पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध स्थापित किया था।

4. इत्तिला देने वाली द्वारा प्रस्तुत लिखित रिपोर्ट के आधार पर, पुलिस ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376(2)(एन) तथा 376(ग) तथा पाक्सो अधिनियम की धारा 6 के अधीन दण्डनीय अपराधो हेतु मामला पंजीकृत किया था। मामले का अन्वेषण करने के बाद, पुलिस ने साक्ष्य के अभाव में अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। विद्वान विशेष जज (पाक्सो) जमशेदपुर ने सोनारी थाना मामला सं. 142 वर्ष 2019 में अपने आदेश दिनांक 05-12-2019 द्वारा अभिलेख में उपलब्ध सामग्रीयो को आधार बनाते हुए प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376(2)(एन) तथा 376(ग) एवं पाक्सो अधिनियम की धारा 6 के अधीन दण्डनीय अपराधो के लिए मामला पाया था लेकिन इसके पक्ष में साक्ष्य के अभाव के कारण दोनो अभियुक्त व्यक्तियो के विरूद्ध अंतिम रिपोर्ट को स्वीकार किया था।

5. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा इत्तिला देने वाली के विद्वान अधिवक्ता ने संयुक्त रूप से इस न्यायालय का ध्यान आई.ए.सं. 987 वर्ष 2024 की ओर आकृष्ट किया है जो पीड़िता लड़की- जो पहले अभिकथित घटना के समय पर अवयस्क थी तथा याचिकाकर्ता के पृथक शपथपत्रो द्वारा समर्थित है तथा निवेदन किया है कि इसमें यह उल्लेख किया गया है कि याचिकाकर्ता तथा इत्तिला देने वाली ने शुभेच्छुओ, आम मित्रो तथा संबंधियो के हस्तक्षेप से न्यायालय के बाहर मामले का समझौता किया है तथा दोनो पक्षकारो ने समझौता किया है जिसके लिए इनके बीच समझौता दिनांक 11-01-2024 किया गया है। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया है कि इत्तिला देने वाली/ उत्तरदाता सं.02 अपने ससुराल में रह रही है तथा इसे एक संतान है तथा इसका याचिकाकर्ता के विरूद्ध कोई शिकायत नही है। आगे निवेदन किया गया है कि चूकि दोनो पक्षकारो ने संयुक्त समझौता करके मामले में समझौता किया है, अतः इत्तिला देने वाली मामले में अग्रसर नही होना चाहती है।

6. अपने तर्क के समर्थन में, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आपराधिक विविध याचिका 450 वर्ष 2021 में पारित आनन्द सागर बनाम झारखण्ड राज्य तथा एक अन्य के मामले में इस न्यायालय के समन्वय पीठ के निर्णय दिनांक 01-02-2023 पर भरोसा किया है जिसमें मामले के तथ्यो में जहाँ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 के अधीन दण्डनीय अपराध नही बनता था, इस न्यायालय के समन्वय पीठ ने सम्पूर्ण दाण्डिक कार्यवाहियो को अभिखंडित किया था।

7. याचिकाकर्ता के विरूद्ध अधिवक्ता ने आपराधिक विविध याचिका 4758 वर्ष 2022 में पारित धर्मेन्द्र राय बनाम झारखण्ड राज्य तथा एक अन्य के मामले में इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 18 अप्रैल 2023 पर भी भरोसा किया है जिसमें अन्तर्वलित अपराध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 452,354,354 क तथा 506 तथा पाक्सो अधिनियम की धारा 8/12 के अधीन दण्डनीय अपराध था तथा इस मामले के तथ्यो में, इस न्यायालय ने सम्पूर्ण दाण्डिक कार्यवाहियो को अभिखंडित किया था।

8. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने (2017) 9 एससीसी 641 में संप्रकाशित परवत भाई अहीर उर्फ परवत भाई भीम सिंह भाई करमुर तथा अन्य बनाम गुजरात राज्य तथा एक अन्य के मामले में भारत के मा. उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया है जिसमें अन्तर्वलित अपराध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 384,467,468,471,120-ख तथा 506(2) के अधीन था तथा पक्षकारो के बीच समझौता के पश्चात, भारत के उच्चतम न्यायालय ने सम्पूर्ण दाण्डिक कार्यवाहियो को अभिखंडित किया था।

9. याचिकाकर्ता के विरूद्ध अधिवक्ता ने आगे आपराधिक विविध याचिका 2954 वर्ष 2022 में पारित सच्चिदानंद सिंह बनाम झारखण्ड राज्य तथा एक अन्य मामले में इस न्यायालय के समन्वय पीठ के निर्णय दिनांक 22-09-2022 पर भरोसा किया है जिसमें इस मामले के तथ्यो में, पक्षकारो के बीच हुए समझौते पर विचार करते हुए, समन्वय पीठ ने सम्पूर्ण दाण्डिक कार्यवाहियो को अभिखंडित किया था।

10. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने रिट याचिका(आपराधिक) सं. 2869 वर्ष 2023 तथा अन्य सहबद्ध मामले में पारित प्रेम कुमार बनाम राज्य तथा अन्य के मामले में या. दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 30-01-2024 पर भरोसा किया है जिसमें इस मामले के तथ्यो में जब पक्षकारो ने पहले ही एक दूसरे से विवाह किया था, इस मामले के तथ्यो में, मा. दिल्ली उच्च न्यायालय ने सम्पूर्ण दाण्डिक कार्यवाहियो को अभिखंडित किया था।

11. याचिकाकर्ता के विरूद्ध विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया है कि पीड़िता ने धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन लेखबद्ध अपने कथन में अभियोजन के मामले का समर्थन नही किया है बल्कि इसने कहा है कि पुलिस महानिदेशक के कार्यालय में बैठे कुछ व्यक्तियो ने इस वर्तमान मामले को पंजीकृत करने का प्रलोभन दिया था। यह भी निवेदन किया गया है कि इत्तिला देने वाली ने धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन लेखबद् अपने कथन के दृष्टिगत आवश्यक आदेशो को पारित करने के लिए अपर सेशन जज-सह-विशेष जज, जमशेदपुर के न्यायालय में याचिका दाखिल किया है। अतः वह मामले में अग्रसर नही होना चाहती है। अतः यह निवेदन किया गया है कि विशेष पाक्सो मामला सं. 83 वर्ष 2019 के तत्समान सोनारी थाना मामला सं.142 वर्ष 2019 के संबंध में विद्वान विशेष जज,(पाक्सो) जमशेदपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 05-12-2019 जिसके द्वारा विद्वान विशेष जज ने याचिकाकर्ता के विरूद्ध भारतीय द्ण्ड संहिता की धारा 376(2)(एन) तथा 376(ग) एवं पाक्सो अधिनियम की धारा 6 के अधीन दण्डनीय अपराध हेतु तथा आदेश दिनांक 19-10-2022,31-05-2022 तथा 30-08-2022 का संज्ञान लिया है जिसके द्वारा तथा जिसके अन्तर्गत उक्त मामले के संबंध में याचिकाकर्ता के विरूद्ध अजमानतीय गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है, को अभिखंडित तथा अपास्त किया जाय।

12. दूसरी तरफ, राज्य के लिए उपस्थित होते हुए विद्वान अ.लो.अभि. ने विशेष पाक्सो मामला सं. 83 वर्ष 2019 के तत्समान सोनारी थाना मामला सं. 142 वर्ष 2019 के संबंध में विद्वान विशेष जज, (पाक्सो), जमशेदपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 05-12-2019 को अभिखंडित करने तथा अपास्त करने के अनुरोध का जोरदार तरीके से विरोध किया है जिसके

द्वारा विद्वान विशेष जज, (पाक्सो), जमशेदपुर ने याचिकाकर्ता के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376(2)(एन) तथा 376(ग) तथा पाक्सो अधिनियम की धारा 6 के अधीन दण्डनीय अपराध हेतु तथा आदेश दिनांक 19-10-2020,31-05-2022 तथा 30-08-2022 का संज्ञान लिया है जिसके द्वारा तथा जिसके अन्तर्गत उक्त मामले के संबंध में याचिकाकर्ता के विरूद्ध गिरफ्तारी का अजमानतीय वारंट जारी किया गया है तथा निवेदन किया है कि यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि बलात्कार के अपराध को समझौता के आधार पर अभिखंडित नही किया जा सकता है। आगे यह निवेदन किया गया है कि निर्विवादित तथ्य जैसा प्र.सू.रि. में किया गया है यह है कि कई अवसरो पर अवयस्क पीड़िता लड़की पर गंभीर वेधी यौन हमला किया गया था तथा चूकि पहले घटना के अवसर पर अवयस्कब पीड़िता लड़की की आयु लगभग 14-15 वर्ष थी, यौन कार्य हेतु वैध सहमति पैदा नही होता है तथा अतः भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 के अधीन दण्डनीय अपराध बनता है।

13. जहाँ तक दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन लेखबद्ध कथन का संबंध है, यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि मात्र क्योकि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन लेखबद्ध कथन में पीड़िता ने प्र.सू.रि. के अन्तरवस्तुओ का समर्थन नही किया है तथा यह सम्पूर्ण दाण्डिक कार्यवाही के अभिखण्डन हेतु आधार नही हो सकता है विशेष रूप से तब जब पीड़िता अवयस्क है तथा जब अपराध इतना गंभीर जैसे अवयस्क पीड़िता लड़की पर गंभीर बेधी यौन हमला क्योकि इस प्रकार के गंभीर अपराधो में अन्तर्वलित दाण्डिक कार्यवाहियो को अभिखंडित किया जाता है क्योकि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन लेखबद्ध अपने कथन में पीड़िता प्र.सू.रि. के अन्तरवस्तुओ से मुकर गई है, पूरी संभावना है कि इस प्रकार के मामलो का अभियुक्त व्यक्ति किसी भी तरह से अवयस्क पीड़िता लड़की को प्र.सू.रि. के अन्तरवस्तुओ से मुकरने के लिए तैयार करेगा। अतः यह निवेदन किया गया है कि इस आपराधिक.विविध.याचिका. को जो सभी गुणागुण के बिना है, खारिज किया जाय।

14. न्यायालय में किये गये प्रतिद्वन्दवी निवेदनो को सुनने के बाद तथा अभिलेख में उपलब्ध सामग्रीयो का सावधानीपूर्वक परिशीलन करने के पश्चात, यहाँ यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि (2014) 6 एससीसी 466 में संप्रकाशित नरिन्दर सिंह तथा अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं एक अन्य के मामले में भारत के उच्चतम न्यायालय ने पैरा-6 में निम्नवत अभिनिर्धारित किया है:

> “29. पूर्वोक्त विवेचना के दृष्टिगत, हम निम्न सिद्धांतो का सार प्रस्तुत करते है तथा अधिकथित करते है जिसके द्वारा उच्च न्यायालय दाण्डिक कार्यवाहियो को जारी रखने के निदेश के साथ कार्यवाहियो का अभिखंडन तथा समझौता को स्वीकार करते समय या समझौता को स्वीकार करने से इंकार करते समय संहिता की धारा 482 के अधीन अपने शक्ति का प्रयोग करते हुए तथा पक्षकारो के बीच समझौता को पर्याप्त बर्ताव देने में मार्गदर्शित होगा।

xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

29.3 इस प्रकार शक्ति का प्रयोग उन अभियोजनो में नही किया जाना चाहिए जिसमें मानसिक भ्रष्टता के जघन्य तथा गंभीर अपराध या हत्या, बलात्कार, डकैती इत्यादि जैसे अपराध अन्तर्वलित हो। इस प्रकार के अपराध प्रकृति में प्राइवेट नही होते है तथा इसका समाज पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार, ऐसे अपराध जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जैसे विशेष कानून के अधीन किया गया अभिकथित है या इस क्षमता में कार्य करते हुए लोक सेवको द्वारा किये गये अपराधो को मात्र पीड़िता तथा अपराधी के बीच समझौता के आधार पर अभिखंडित नही किया जाना चाहिए। (बल दिया गया)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

भारत के मा. उच्चतम न्यायालय ने सुनिश्चित तरीके से उल्लेख किया है कि ऐसे मामले जिसमें बलात्संग के अपराध अन्तर्वलित हो को समझौता के आधार पर अभिखंडित नही किया जाना चाहिए।

15. अब यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि समुचित मामलो में भारत का मा. उच्चतम न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के अधीन अपने अधिकारिता के प्रयोग में इस प्रकार के कार्यवाही का अभिखंडन कर सकता है लेकिन उच्च न्यायालय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन अपने अधिकारिता के प्रयोग में इस प्रकार के कार्यवाहियो का अभिखंडन करने के लिए सशक्त नही है।

16. अब, मामले के तथ्यो पर आते है, इस बात में कोई विवाद नही है कि प्र.सू.रि. में किया गया अभिकथन पाक्सो अधिनियम 2012 की धारा 6 तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376(2)(एन) के अधीन दण्डनीय अपराध गठित करने के लिए पर्याप्त है।

17. इस प्रकार की परिस्थितियो में, इस न्यायालय की सुविचारित राय है कि भारत के मा. उच्चतम न्यायालय द्वारा सुस्थापित विधि के सिद्धांत के दृष्टिगत, यह उपयुक्त मामला नही है जहाँ पक्षकारो के बीच हुए समझौता के दृष्टिगत सम्पूर्ण दाण्डिक कार्यवाहियाँ, जैसा याचिकाकर्ता द्वारा अनुरोध किया गया है को अभिखंडित तथा अपास्त किया जाय।

18. तद्नुसार, इस आपराधिक विविध याचिका को सभी गुणागुण के बिना होने के नाते खारिज किया जाता है।

19. वर्तमान आपराधिक विविध याचिका के निपटारे के दृष्टिगत,आई ए सं. 987 वर्ष 2024 को तद्नुसार निपटाया जाता है।

**(अनिल कुमार चौधरी, न्यायमूर्ति)**

**दिनांक 12 फरवरी, 2024**

**(यह अनुवाद 02 शिवा कान्त तिवारी पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया)**